

प्रेस नोट सर्विलान्स सेल जनपद अलीगढ़।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ श्री आकाश कुलहरि महोदय के आदेश के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अरविन्द कुमार के निर्देशन में तथा श्री अभय कुमार शर्मा, प्रभारी सर्विलान्स सेल के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.04.2019 को उ0नि0 श्री संजीव कुमार मोबाइल रिकवरी सेल व उनकी टीम के सदस्य कान्स0 पुष्पेन्द्र कुमार, कान्स0 पवन कुमार शर्मा व कान्स0 धीरज त्यागी द्वारा अलीगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्र से छीने/लूटे गये 04 मोबाइल तथा खोये हुए 19 मोबाइल बरामद कर सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को विभिन्न थानों से जेल भेजा गया। बरामद कुल मोबाइलों का मूल्य लगभग 03 लाख रुपये है।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ श्री आकाश कुलहरि महोदय के आदेश के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अरविन्द कुमार के निर्देशन में तथा श्री अभय कुमार शर्मा, प्रभारी सर्विलान्स सेल के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.04.2019 को उ0नि0 श्री संजीव कुमार मोबाइल रिकवरी सेल व उनकी टीम के सदस्य कान्स0 पुष्पेन्द्र कुमार, कान्स0 पवन कुमार शर्मा व कान्स0 धीरज त्यागी द्वारा अलीगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्र से छीने/लूटे गये 04 मोबाइल तथा खोये हुए 19 मोबाइल बरामद कर सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को विभिन्न थानों से जेल भेजा गया। बरामद कुल मोबाइलों का मूल्य लगभग 03 लाख रुपये है।

बरामद मोबाइल पुलिस अधीक्षक देहात श्री मणिलाल पाटीदार तथा डा0 अरविन्द कुमार पुलिस अधीक्षक अपराध के द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रदान कराये गये। अपने-अपने खोये मोबाइलों को प्राप्त कर सम्बन्धित व्यक्तियों के चेहरे पर खुशी छा गयी सबसे ज्यादा खुशी 42 हजार रुपये के खोये हुए मोबाइल को पाने वाले अमित शर्मा को हुई तथा पुलिस विभाग की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

fixj¶rkj vfhk; ðax.k dk uke o irk &

- 1—अदनान पुत्र इमरान निवासी तुर्कमानगेट थाना कोतवाली जनपद अलीगढ़ सम्बन्धित अपराध सं0 सम्बन्धित अपराध सं0 176/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सिविल लाइन्स।
- 2— अब्दुल मुत्तलिब पुत्र जिआउल नवी निवासी तुर्कमानगेट थाना कोतवाली जनपद अलीगढ़ सम्बन्धित अपराध सं0 सम्बन्धित अपराध सं0 176/2019 धारा 392/411 भादवि थाना सिविल लाइन्स।
- 3—शाकिर पुत्र जुम्मा निवासी गली न0 4 शाहनशाहबाद थाना सिविल लाइन्स जनपद अलीगढ़ सम्बन्धित अपराध सं0 131/2019 धारा 379 भादवि थाना बन्नादेवी।
- 4—बिटटू पुत्र जगवीर नि0 आनन्दपुर थाना अतरौली अलीगढ़ सम्बन्धित अपराध सं0 240/2019 धारा 379 भादवि थाना क्वार्सी।